PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Fri, 09 Sep 2016, Page 9
Width: 18.81 cms, Height: 13.77 cms, a4r, Ref: 49.2016-09-09.102

बाल संरक्षण आयोग के दखल पर हुई एफआईआर

सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

पुणे में जब एक पिता को अपनी 5 साल की बेटी के साथ हुए यौन शोषण की पुलिस में शिकायत करना मुश्किल हो गया तो उसने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में गुहार लगाई। आयोग के दखल देने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 सितंबर को बच्ची के माता-पिता ने ई-मेल के जरिए आयोग को अपनी व्यथा बताई, साथ ही स्थानीय पुलिस की लापरवाही का किस्सा बताया। ई-मेल में कहा गया कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनकी 5 साल की बेटी के साथ यौन शोषण व यौन दुराचार किया। उन्होंने बताया कि बेटी ने डर-सहम कर यह सारी बात बताई, चूंकि वो इस शहर में नए है, उनका परिवार लाचार व असहाय महसूस कर रहा है। पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। उन्हे यह भी डर है कि आरोपी फिर से यह घिनौना काम कर उनकी बच्ची को धमका सकता है। आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार की सुरक्षा व आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।